

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2010—श्रावण 29, शक 1932

## भाग ४

विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2010

क्र. एफ. 19-18-2009-बारह-1.—खान एवं खनिज  
(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67)  
की धारा 23-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,  
राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन  
तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 में निम्नलिखित और

संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (2) में, परन्तुक में,  
पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके  
पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि उक्त परन्तुक में के प्रतिषेध, उन व्यक्तियों/  
फर्मस/कंपनियों, जिन्होंने कलक्टर या मध्यप्रदेश राज्य  
खनिज निगम से रेत की संविदा अभिप्राप्त कर ली है, को  
लागू नहीं होंगे, किन्तु वे उनकी संविदा कालावधि में,  
उनकी रेत खदान के चार किलोमीटर की परिधि में रेत का  
भण्डारण कर सकते हैं या भण्डारण करवा सकते हैं.”

No. F. 19-18-2009-XII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following further amendments in Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006 namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in Rule 3, in sub-rule (2), in the proviso, for full stop, the colon shall be substituted and

thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the prohibition in the above proviso shall not be applicable to those persons/ firms/companies, who have obtained contract of sand from Collector or the Madhya Pradesh State Mining Corporation, but they may store or cause to be stored sand in the periphery of four kilometre of their sand quarry, in their contract period.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.